Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Ministry
NOTIFICATION

Bhopal, dated 12 January, 2004

No. F-4/7/2003/Rule/IV, In exercise or the powers conferred by Article, 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely: -

AMENDMENTS

(1) In the said rules, after rule 38, the following new rule shall be inserted, namely: -

" 38-A- Paternity Leave: -

(1) Paternity leave of 15 days may be granted to a male Government servant with less than two surviving children during the confinement of his wife, i.e.upto 15 days before or upto six months from the date of delivery of the child.

(2) Paternity leave shall be granted in the form of commuted leave but Government servant shall not be required to submit medical certificate.

(3) Paternity leave may be combined with leave of any other kind, except casual leave."

(2) This amendment shall be shall be deemed to have come into force with effect from 01.08.2003 .

By order & in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(P.C.Verma)
Deputy Secretary,
Finance Department

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी , 2004

क्रमांक -एफ-4/7/2003/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:-

संशोधन

(1) उक्त नियमों में, नियम, 38 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"38-क- पितृत्व अवकाश :-

(1) पुरूष सरकारी सेवक को, जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, उसकी पत्नी की प्रसवावस्था के दौरान अर्थात शिशु के जन्म की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से छह मास तक, पन्द्रह दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।

(2) पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा किंतु सरकारी सेवक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश के सिवाय, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोडा जा सकेगा।"

(2) यह संशोधन दिनांक 1.8.2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र एफ-4/7/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2004

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष

4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
7. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
8. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
13. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
15. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
18. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
19. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
20. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल,
21. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
22. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
23. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
24. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
25. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
27. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग